रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1300] नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2015/आषाढ़ 1, 1937
No. 1300] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2015 /ASADHA 1, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2015

का.आ.1659(अ).--और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यथाअपेक्षित एक प्रारूप अधिसूचना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के तत्कालीन् पर्यावरण और वन मंत्रालय की संख्यांक का. आ. 1690 (अ) दिनांक 4 जुलाई, 2014 की अधिसूचना द्वारा उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित की गई थी जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और उसके द्वारा उस तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे जिस तारीख को उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 4 जुलाई, 2014 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रारुप अधिसूचना के संबंध में कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

और कपिलाश वन्यजीव अभयारण्य (इसमें इसके पश्चात् अभयारण्य कहा गया है), ओडिशा राज्य के जिला में अवस्थित है जो इलाका कपिलाश आरक्षित वन के भीतर है तथा बिना किसी मानव बस्ती के 125.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र से घिरा हुआ है ।

और ये अभयारण्य वर्षा अवरूद्ध अभयारणित है और भूमिगत जल के पुनः भरण, मृदा के न्यूनतम क्षरण द्वारा तलछट के विरूद्ध नदियों के संरक्षण और सरिताओं का संरक्षण तथा बारामासी या अर्ध–बारामासी और बरसाती सरिताओं, नालों या नदियों के जाल को भलीभांति जोड़ना जिससे लघु सिंचाई परियोजनाओं को पुष्ट किया जा सके और जल संग्रहण संरचनाओं और ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियों का जाल बिछाया जा सके ;

और अभयारण्य एशियाई हाथियों और अत्यधिक संकटापन्नः प्रजातियों जैसे हाथी (ऐलीफास मैगजीमस), लकड़बघा (हगेना हायना), चित्तीदार हिरन (एक्सिस एक्सिस), सांभर (सेरूअस यूनिकलर), भेडिया (केनिस लुपुस), भालू (मेलुरसुस उरसीलुसल), रीछ साधरण लंगूर, गीदड़ (कनिस ओरिस), लोमड़ी (वुल्पेस बेनगालेनसिस), खरगोश (लेपुस निगरीकोटिस), जंगली सुकर (सुसस्क्रोफा), शूकर (हाईस्ट्रिम इंडिका), मयूर (पावो क्रिस्टाटुस), पक्षियों, सर्पो, छिपकलियों आदि की प्रजातियां ;

और अभयारण्य कासी (ब्रदेलिया रेतुसा), साइमल (बाम्बक्स सिएबा), कागड़ा (जाइला जालोकारपा), सिद्ध (अलबिजिया लेब्बक), फासी (एनोगेइसुस एक्युमिनाटा), केन्दु (डाइयोसपग्राउस मेलनोजाइलोन), जामु (साइजियम अनमीनफी), आवंला (एमबलिका आफिशिनालिस), आम (मगनीफरा इंडिका), आसन (टरमिनालिया अलाटा), बीजा (पट्रोकारपुस मारसुपियम), कुरम (अदिना क्रोडीफुलिया), चीड़ (टेकटोना ग्रान्डिस), धौरा (एंगीसुस लातिफोलिया), कदम्ब (एंथासिफालुस कदम्ब), कर्जना (पोंगामिया पिन्नाटा), कुसुम (सेलीचेरा ओलेओसा), मुंडी (स्पेरंटुस इंडिका), माहुल (मधुका इंडिका), बेला (एंजल मारमेलोस), गंभारी (गमेलिना अरबोरिया), कंचन (बौहिनिया अकुमिनाटा) आदि जैसी

सहयुक्तों के साथ प्रबल प्रजातियों के रूप में सेल अर्थात सोरिया रोबस्ता वाले वनस्पति के लिए उत्कृष्ट आवास है;

और, पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के रूप में कपिलाश वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, को संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में उद्योगों के प्रचालन या प्रसंस्करण या उद्योगों के वर्गों का प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओडिशा राज्य में कपिलाश वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 13.15 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को ओडिशा राज्य के कपिलाश वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार कपिलाश वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 500 मीटर से 13.15 किलोमीटर तक है और इसका क्षेत्र 393.87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन पूर्व की ओर 20° 43' 55.818" उ. अक्षांश और 85° 55' 30.586" पू. देशांतर (उपाबंध I के मानचित्र का बिंदु पिल सं. 200); पश्चिम की ओर 20° 38' 50.930" उ. अक्षांश और 85° 41' 11.524" पू. देशांतर (उपाबंध I के मानचित्र का बिंदु पिल सं. 1) ; उत्तर की ओर 20° 41' 44.559" उ. अक्षांश और 85° 48' 42.827" पू. देशांतर (उपाबंध I के मानचित्र का बिंदु पिल सं. 100) और दक्षिण की ओर 20° 38' 20.393" उ. अक्षांश और 85° 44' 55.087" पू. देशांतर (उपाबंध I के मानचित्र का बिंदु पिल सं. 300) से घिरा हुआ है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र इनके अक्षांश और देशांतर के साथ **उपबंध I** के रूप में उपाबद्ध हैं।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची प्रमुख बिन्दु पर इनके देशांतर और अक्षांश के साथ **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

2. **पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना** – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) उक्त आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना सभी संबधित राज्य के विभागों के परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;
(ii) वन ;
(iii) नगर विकास ;
(iv) पर्यटन ;
(v) नगरपालिका ;
(vi) राजस्व ;
(vii) कृषि ; और
(viii) ओडीशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना के सुधार के लिए और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिकीय अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास के पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय**-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 20, 26, 29 और 34 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग ;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(iii) वर्षा जल संचयन, और

(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में पाई जाने वाली कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना को सम्मिलित किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे जिससे कि उन क्षेत्रों में या इसके समीप विकास क्रियाकलाप को रोका जा सके जो ऐसे क्षेत्र के लिए हानिकारक हैं ।

(3) पर्यटन – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना ओडिशा सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा राजस्व और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) पारिस्थितिक पर्यटन के अनुसरण में मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंध में पर्यटकों के लिए अस्थायी वास-सुविधा के सिवाय कपिलाश वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर होटलों और रिसार्टों के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे ;

परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी के परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए भवनों और रिसार्टों के स्थापन को केवल पूर्व परिभाषित, पदाविहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकीय पर्यटन सुविधाओं के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और अहातों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) ठोस अपशिष्ट -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 द्वारा प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ख) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(ग) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(घ) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और इसके अध्यधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अध्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध होंगी । तथापि, वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना विद्यमान विनियमों के अनुसार अनुज्ञात होंगे ।

		(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(2)	आरा मशीनों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(5)	नई बृहत जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा अभ्यारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(9)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
(10)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
(11)	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंध में पर्यटकों के अस्थायी वास-सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, एक किलोमीटर के परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्ग-दर्शक सिद्धांतों के अनुरुप किया जाएगा।
(12)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए ही जल का सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिमाण में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) किसी भी स्रोत से, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
(13)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	भूमिगत केबल बिछाने का संवर्धन करना।
(14)	विद्यमान होटलों, लॉजों और रिसोर्टों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(15)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	यथा लागू उचित पर्यावरण प्रभाव निर्धारण और न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा।
(16)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।

2755 GI/15-2

(17)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(18)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(19)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(20)	प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित ऐसे उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
(21)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन (एस.टी.एफ.पी.) उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(22)	गृह ठहराव, रज्जु मार्ग, खोखा, रस्सी संबंधित आदि जैसी पारिस्थितिक -पर्यटन सुविधाएं।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(23)	सुरक्षा बल कैम्प ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
(24)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा ।
(25)	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु नए काष्ठ आधारित उद्योग पारिस्थितिक संवेदी जोन में 100 प्रतिशत आयातित काष्ठ स्टॉक का उपयोग करते हुए स्थापित किए जा सकेंगे ।
(26)	पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटक क्रियाकलाप हेतु पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल कुटीर, जैसे तंबू, लकड़ी के घर आदि ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(27)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु यह कि स्थानीय निवासियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अनुज्ञात किया जाएगा : परंतु यह और कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलाप यथा लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित होंगे और न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) 1 किलोमीटर के परे और परिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सदभावी स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महोयोजना के अनुसार विनियमित होंगे । (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगे ।
	ग.अनुज्ञात क्रियाकलाप :	
(28)	डेयरी, डेयरी उद्योग और मत्स्य उद्योग के साथ स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी गतिविधियां ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात ।
(29)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(30)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(31)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात ।
(32)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(33)	वानस्पतिक बाड़।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात ।
(34)	कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।

5. **मानीटरी समिति** - केंद्रीय सरकार पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) जिला कलेक्टर, जिला धनकनाल, ओडीशा सरकार - अध्यक्ष ;

(ii) संबंधित पुलिस अधीक्षक – सदस्य ;

(iii) कलक्टर कटक का संबद्ध प्रतिनिधि – सदस्य ;

(iv) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रतिनिधि - सदस्य;

(v) ओडीशा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय अधिकारी – सदस्य;

(vi) ओडिशा सरकार द्वारा राज्य के किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय का नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक वर्ष की अवधि के लि, विशेषज्ञ – सदस्य;

(vii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का एक वर्ष की अवधि के लिए ओडिशा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य

(viii) संबद्ध प्रभागीय वन अधिकारी – सदस्य ; और

(ix) प्रभागीय वन अधिकारी, धनकनाल वन खंड - सदस्य-सचिव ।

निर्देश निबंधन

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अंधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक कि अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध III** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

7. इस अधिसूचना के उपबंध, माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/3/2014-ईएसजेड-आरई]

डा0 जी.वी.सुब्रह्मण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

कपिलाश वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा के अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र

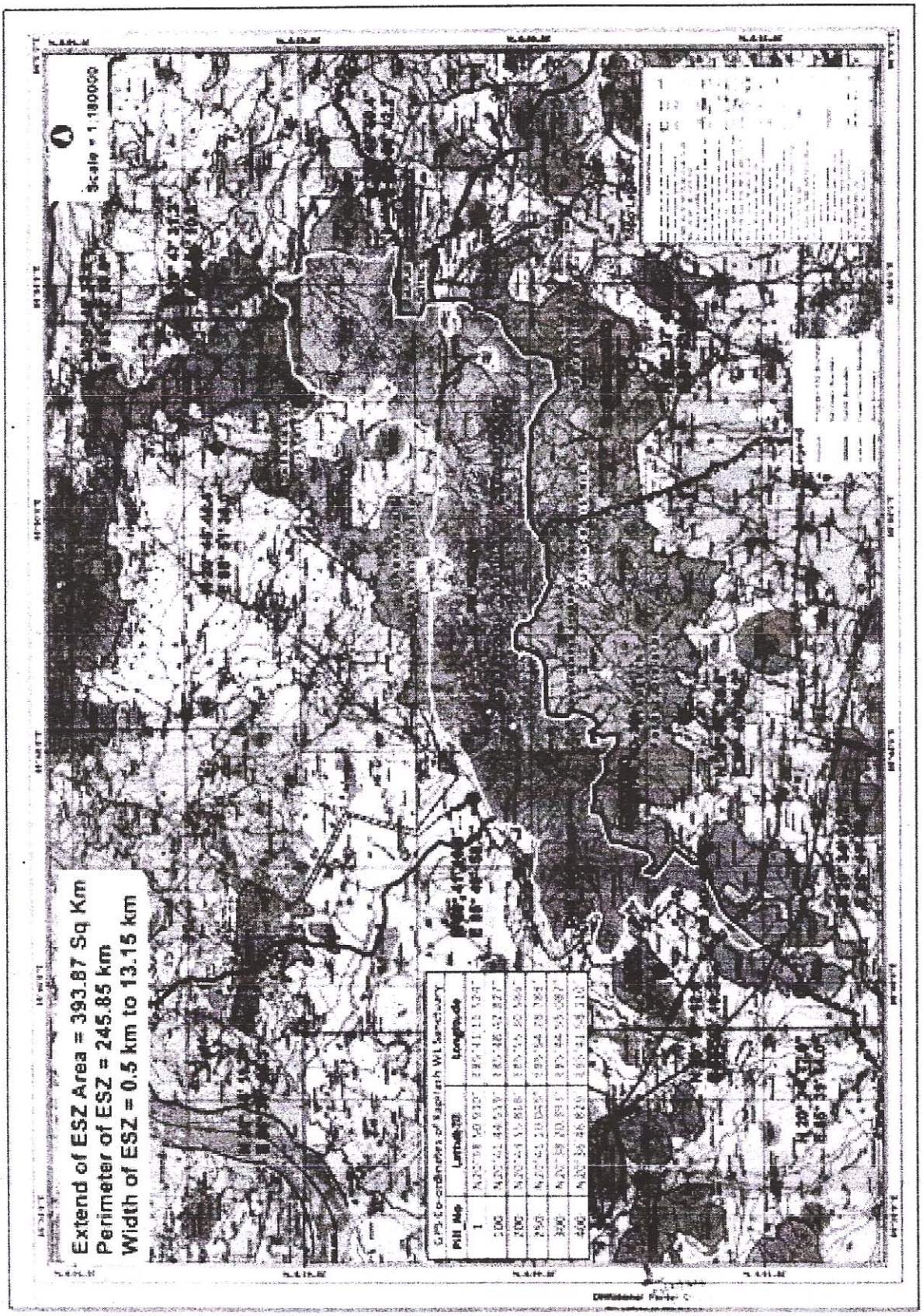

उपाबंध- II

कपिलाश वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा के प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

1. जिला धेनकनाल :

क्र. सं.	गांवो के नाम	अक्षांश			देशांतर		
		डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1.	अछानदा	20	38	6.65	85	40	40.21
2.	दहीमल	20	39	46.97	85	41	04.42
3.	हरेक्रिशनापुर	20	39	07.65	85	40	57.67
4.	खजुरिया	20	37	45.41	85	41	34.45
5.	क्रुशनाकुमारपुर	20	40	01.23	85	42	45.31
6.	सनखुआ	20	38	44.75	85	40	44.53
7.	बाउनसागोथा	20	37	16.12	85	40	54.41
8.	बिरादिया	20	40	12.82	85	42	50.71
9.	छनबोलुआ	20	40	03.22	85	41	50.21
10.	अम्बनाली	20	40	57.91	85	42	50.23
11.	बनिया	20	41	56.51	85	48	40.22
12.	चंद्रशेखरपुर	20	42	55.75	85	43	22.47
13.	छतिया	20	44	22.93	85	41	40.62
14.	छोटातेनतूली	20	45	20.56	85	55	18.05
15.	देओगन	20	41	53.35	85	45	06.95
16.	घोराघोरी	20	43	13.25	85	56	13.45
17.	माहीसिआकाडा	20	44	09.82	85	52	23.87
18.	माहुलखाली	20	41	27.19	85	44	09.11
19.	कोल्हा	20	40	55.56	85	53	33.92
20.	मन्दामारी	20	44	35.96	85	52	19.22
21.	नेउलपोई	20	44	00.78	85	42	46.07
22.	सिमीलिया	20	42	29.42	85	51	53.61
23.	सेरीसियापाडा	20	42	8.63	85	50	56.21
24.	तालपाडा	20	44	19.47	85	51	39.11
25.	हरबेरेना	20	44	32.23	85	51	57.12
26.	दिओझार	20	43	36.53	85	50	19.67
27.	रामेई	20	43	29.72	85	51	0.31
28.	नुआचउलिआ	20	43	07.51	85	50	51.42
29.	जमुरिया	20	42	27.12	85	50	57.63
30.	छतिघर	20	40	39.42	85	50	56.16

2. जिला कटक :

क्र. सं.	गांवो के नाम	अक्षांश			देशंतर		
		डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1.	राधाक्रुशनापुर	20	34	9.63	85	40	21.62
2.	महालक्ष्मीपुर	20	36	11.62	85	43	07.71
3.	राधारमनपुर	20	34	17.32	85	41	38.51
4.	ओरादा	20	35	85.63	85	49	11.54
5.	भगुआ	20	35	56.53	85	43	44.52
6.	बनझियाअम्भा	20	37	3.54	85	52	41.92

जिला जजपुर :- शून्य।

उपाबंध- III

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश। ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश।
6. ईआईए के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2015

S.O.1659(E).—Whereas, a draft notification under sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) was published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment Forest and Climate Change number S.O. 1690 (E), dated the 4th July, 2014, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, Whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on 4th July, 2014;

And, Whereas, no objection and suggestion received in respect of the proposed draft notification by the Central Government;

Whereas, the Kapilash Wildlife Sanctuary (hereinafter referred to as the Sanctuary) lies in the Dhenkanal District of Odisha State within the Kapilash Reserve Forest covering an area of 125.5 square kilometers without any human settlement;

And, Whereas, the forest of this Sanctuary intercept rainfall and help recharge ground water aquifer, protect rivers and streams against siltation by minimising soil erosion and has well-knit network of perennial or semi-perennial

and seasonal streams, nalas or rivers which feed minor irrigation projects and water harvesting structures and are tributaries to the river Brahmani;

And, Whereas, the sanctuary is an excellent habitat for Asian Elephants and some of the most endangered species like Elephant (*Elephas maximus*), Hyena (*Hgaena hyaena*), Spotted Deer (*Axix axis*), Sambar (*Ceruus unicolor*), Wolf (*Canis lupus*), Bears (*Melursus ursinusl)*, Sloth Bears, Common Longoors, Jackal (*Canis aureus*), Fox (*Vulpes bengalensis*), Hares (*Lepus nigricottis*), Wild Boar (*Sus scrofa*), porcupines (*Hystrix indica*), Peacocks (*Pavo cristatus*), varieties of Birds, Snakes, Lizards etc;

And, Whereas, the sanctuary is an excellent habitat for flora with Sal i.e. *Shorea robusta* as the dominant species along with the associates like Kasi (*Brdelia retusa*), Simul (*Bombax ceiba*), Kangara (*Xylia xylocarpa)*, Sidha (*Albizia lebbek*), Phasi (*Anogeissus accuminata*), Kendu (*Diospgrous melanoxylon*), Jamu (*Syzygium anminfi)*, Amla (*Emblica officinalis*), Mango (*Mangifera indica*), Asan (*Terminalia alata*), Bija (*Pterocarpus marsupium*), Kurum (*Adina cordifulia*), Teak (*Tectona grandis*), Dhaura (*Anogeisus latifolia*), Kadamba (*Anthocephalus kadamba*), Karanja (*Pongamia pinnata*), Kusum (*Schleichera oleosa*), Mundi (*Sphaeranthus indica*), Mahul (*Madhuca indica*), Bela (*Aegle marmelos*), Gmabhari (*Gmelina arborea*), Kanchan (*Bauhinia acuminata*), etc;

And Whereas, it is necessary to conserve and protect the area to the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of the Kapilash Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent upto 13.15 kilometers from the boundary of the Kapilash Wildlife Sanctuary in the State of Odisha as the Kapilash Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone, details of which are as under, namely:-

1. **Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.-**(1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from 500 meters to 13.15 kilometers from the boundary of the Kapilash Wildlife Sanctuary covering geographical area of 393.87 square kilometers.

(2) The Eco-sensitive Zone is bounded by 20° 43' 55.818"N latitude and 85°55' 30.586"E longitude towards East (point pill No.200 of Annexure I map); 20° 38' 50.930"N latitude and 85° 41' 11.524"E longitude towards west (point pill No.1 of Annexure I map); 20° 41' 44.559"N latitude and 85° 48' 42.827"E longitude towards north (point pill No.100 of Annexure I map) and 20° 38' 20.393"N latitude and 85° 44' 55.087"E longitude towards south (point pill No.300 of Annexure I map).

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary along with latitudes and longitudes is appended as **Annexure I.**

(4) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their longitudes and latitudes at prominent point are appended as **Annexure II.**

2. **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan, within a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest;
(iii) Urban Development;
(iv) Tourism;
(v) Municipal;
(vi) Revenue;
(vii) Agriculture; and
(ix) Odisha State Pollution Control Board,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, ground water management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing places of worship, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development and livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 20, 26, 29 and 34 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Small scale industries not causing pollution;

(ii) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for Eco-friendly tourism activities;

(iii) Rainwater harvesting; and

(iv) Cottage industries including village artisans, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance to the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to afforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner so as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**-(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Odisha in consultation with the Departments of Revenue and Forests.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(ii) Construction of new hotels and resorts shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the Kapilash Wildlife Sanctuary except accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per the Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.** - All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and

preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981)and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under. –

(a) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(b) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(c) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(d) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner at sites identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-**The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government. The Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-**All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities:	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited. However, the digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing of the domestic needs bona fide local residents shall be permitted as per the existing regulation. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N.Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new and expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.

3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use of plastic carry bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities:	
10.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines of the National Tiger Conservation Authority.
12.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a)The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
13.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
14.	Fencing of existing premises of hotels, lodges and resorts.	Regulated under applicable laws.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable
16.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
17.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
19.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.

20.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
21.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
22.	Eco-tourism facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc.	Regulated under applicable laws.
23.	Security Forces Camp.	Regulated under applicable laws.
24.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid waste, the existing regulations shall be followed.
25.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive zone using 100% imported wood stock.
26.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities	Regulated under applicable laws.
27.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) beyond one kilometer upto the extent of Eco sensitive Zone construction for bona fide local needs shall be permitted and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan. (c) construction activity in the ESZ shall be as per Zonal Master Plan.
C. Permitted Activities:		
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Permitted under applicable laws.
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Use of renewable energy sources	Permitted under applicable laws.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Vegetative fencing	Permitted under applicable laws.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.,	Shall be actively promoted.

Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(i) The District Collector, Dhenkanal District, Government of Odisha - Chairman;

(ii) Concerned Superintendent of Police - Member;

(iii) Concerned representative of Collector cuttack - Member;

(iv) Representative of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change – Member;

(v) Regional Officer, Odisha State Pollution Control Board-Member;

(vi) Expert in the field of Environment Wildlife and Ecology to be nominated by the Government of Odisha for a period of one year in each case - Member;

(vii) One representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment to be nominated by the Government of Odisha for a period of one year in each case– Member;

(viii) Concerned Divisional Forests Officers - Member; and

(ix) Divisional Forests Officer, Dhenkanal Forest Division– Member Secretary.

Terms of Reference:

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State as per pro-forma appended at **Annexure III**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to the provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No. 25/3/2014-ESZ/RE]
Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

Annexure I

Map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes of Kapilash Wildlife Sanctuary, Odisha.

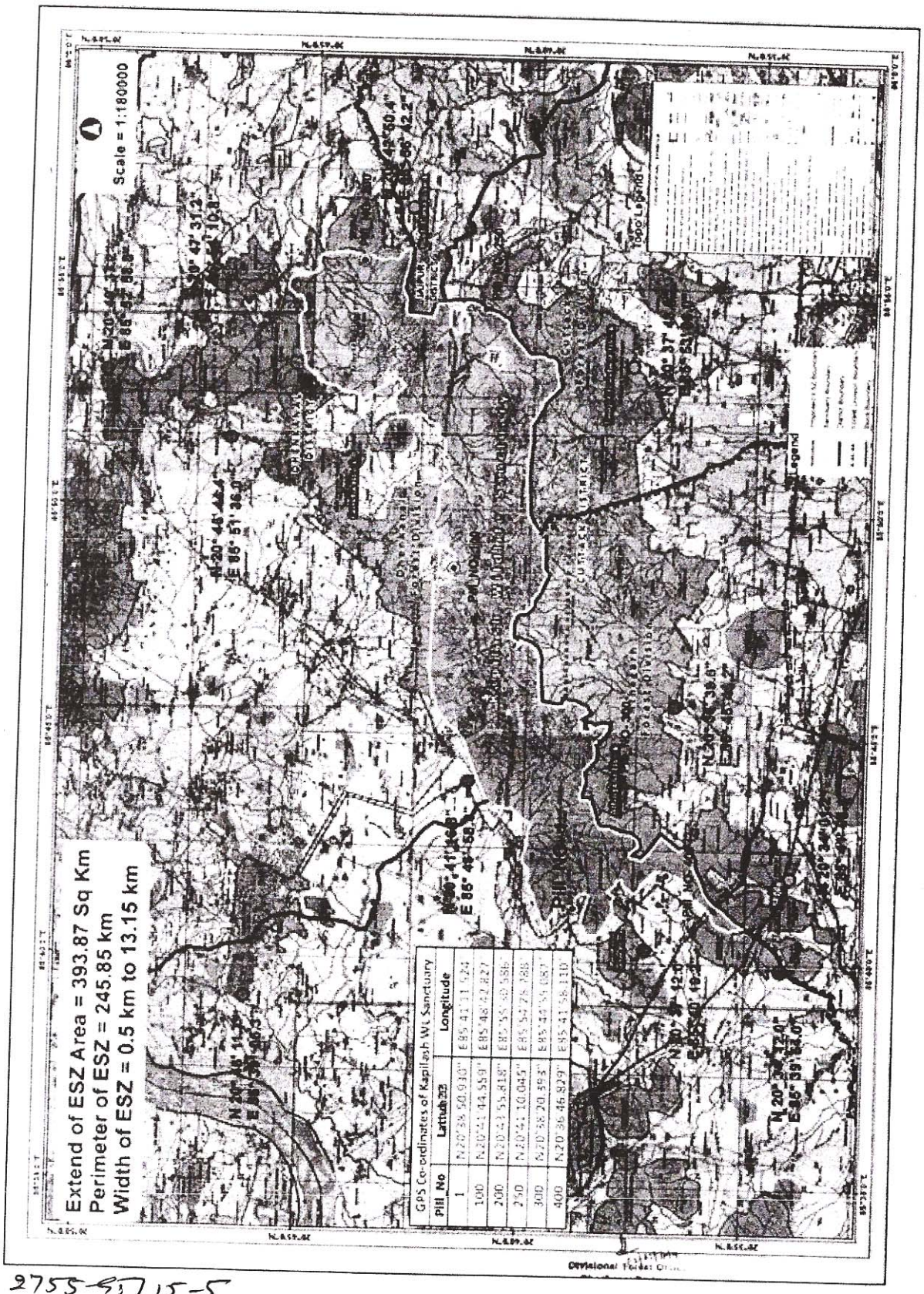

Annexure II

List of villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone of Kapilash Wildlife Sanctuary, Odisha.

1. **Dhenkanal District:**

Sl.No	Name of the village	Latitude			Longitude		
		Degree	Minute	Seconds	Degree	Minute	Seconds
1.	Achhanda	20	38	6.65	85	40	40.21
2.	Dahimal	20	39	46.97	85	41	04.42
3.	Harekrishnapur	20	39	07.65	85	40	57.67
4.	Khajuria	20	37	45.41	85	41	34.45
5.	Krushnakumarpur	20	40	01.23	85	42	45.31
6.	Sankhua	20	38	44.75	85	40	44.53
7.	Baunsagotha	20	37	16.12	85	40	54.41
8.	Biradia	20	40	12.82	85	42	50.71
9.	Chanabolua	20	40	03.22	85	41	50.21
10.	Ambanali	20	40	57.91	85	42	50.23
11.	Bania	20	41	56.51	85	48	40.22
12.	Chandrasekharpur	20	42	55.75	85	43	22.47
13.	Chhatia	20	44	22.93	85	41	40.62
14.	Chhotatentuli	20	45	20.56	85	55	18.05
15.	Deogan	20	41	53.35	85	45	06.95
16.	Ghoraghori	20	43	13.25	85	56	13.45
17.	Mahisiakada	20	44	09.82	85	52	23.87
18.	Mahulkhali	20	41	27.19	85	44	09.11
19.	Kolha	20	40	55.56	85	53	33.92
20.	Mundamari	20	44	35.96	85	52	19.22
21.	Neulpoi	20	44	00.78	85	42	46.07
22.	Similia	20	42	29.42	85	51	53.61
23.	Sorisiapada	20	42	8.63	85	50	56.21
24.	Talapada	20	44	19.47	85	51	39.11
25.	Haraberena	20	44	32.23	85	51	57.12
26.	Deojhar	20	43	36.53	85	50	19.67
27.	Ramei	20	43	29.72	85	51	0.31
28.	Nuachaulia	20	43	07.51	85	50	51.42
29.	Jamuria	20	42	27.12	85	50	57.63
30.	Chatighar	20	40	39.42	85	50	56.16

2. **Cuttack District:**

Sl.No	Name of the village	Latitude			Longitude		
		Degree	Minute	Seconds	Degree	Minute	Seconds
1.	Radhakrushnapur	20	34	9.63	85	40	21.62
2.	Mahalaxmipur	20	36	11.62	85	43	07.71
3.	Radharamanpur	20	34	17.32	85	41	38.51
4.	Orada	20	35	85.63	85	49	11.54
5.	Bhagua	20	35	56.53	85	43	44.52
6.	Banjhiaambha	20	37	3.54	85	52	41.92

3. **Jajpur District:** -Nil

Annexure III

Proforma of Action Taken Report:- Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

   Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054